राजस्थान सरकार
वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0–0744-2322747

क्रमांकः–एफ( )उवसं/तक./ 2022–23/ 1072 दिनांकः 3.2.23
निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषयः–land for extension of bhamashah krashi upaj mandi samite Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/20036/2016)

प्रसंगः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के पत्राक 3994–95 दिनांक 29.11.22

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है–

क्र. स.	आक्षेप	पालना
1	बिंदू सं0 2 की पालना के क्रम मे पार्ट ।। में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के उल्लंघन करने वाले अधिकारियो के नाम अंकित कर दिये गये है। किंतु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षक अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नही की गई है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 96 है0 का प्रत्यावर्तित वन भूमि प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसमे से लगभग 22 है0 वन भूमि में उनके प्रस्ताव से पूर्व ही निर्माण कार्य किया जा चुका है प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रीको से औद्योगिक क्षेत्र हेतु जमीन आंवटित किया जाना बताया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा यह कार्य किया गया। रीको को यह भूमि वन अधिकारी व राजस्व अधिकारीयो ने दी है। राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नही है परन्तु गजट नोटिफिकेसन ने यह भूमि वन भूमि है। इस प्रकार यह प्रकरण मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 पार्ट फस्ट का ए प्रकरण से संम्बधित होना प्रतीत होता है। इस प्रकरण में एफ आई आर न0 56–09 दिनांक 19.09.1956 जारी कि गई है। जिसके क्रम में राजस्थान अधिनियक 1953 के तहत 1.00 लाख रू का जूर्माना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा करा दिया गया है।
2	बिंदू सं0 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में एन एफ एल भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ति योजना संलग्न की गई है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 1100पौधे लगाया जाना संभव नही है।अतः एन एफ एल भूमि पर कितने पौधे लगाया जाना है यह स्पष्ट नही है अतः लगाये जाने वाले 96000 पौधो के अनुसार योजना बनाई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्राप्त गैर वन भूमि में जूलिफलोरा की अधिकता है जिसके कारण 1100 पौधे नही लगाया जा सकता है परन्तु जूलिफलोरा का उल्मूलन कर 1100 पौधे लगाया जा सकता है। इस आधार पर वास्तविक प्राक्लन बनाया जा कर संलग्न कर दिया गया है।
3	बिंदू सं0 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में 6 किमी0 नवीन दीवार एवं 2 किमी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर ऐजेन्सी के वचनबद्वता संलग्न कर दी गई है। किंतु प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के अनुसार 3314 रमी0 दीवार का नुकसान होना है तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।	शेष बची हुई दीवार का कार्य टुटी हुई दीवार के स्थान पर बनाई जायेगी।
4	बिंदू सं0 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में गैर वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गई है। किंतु भारत	संलग्न है।

	सरकार के दिशा निर्देशो के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।	
5	बिंदू सं0 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में परिभाषित वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न नही की गई है। किंतु भारत सरकार के दिशा निर्देशो के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।	संलग्न कर दिया गया है।
6	बिंदू सं0 9 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट 2 वर्षो से पुरानी है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संलग्न कर दिया गया है।
7	बिंदू सं0 10 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन संलग्न नही है।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
8	बिंदू सं0 12 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नही है।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
9	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.04.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षैत्र सी इ सी द्वारा अन्य एफ सी ए के प्रकरण में ग्रीन बेल्ट के विकसित करने के निर्देश दिये गये है।अतः इस क्रम में सी इ सी से उक्त बिंदू पर छूट प्राप्त करने के उपरांत ही प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था उक्त बिंदू पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।	उक्त बिन्दू पर छूट पाने हेतु यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को पत्र लिखा गया है।
10	लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशो एवं नवीन दरो पर नही बनाया गया है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
11	उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नही है गैर वन भूमि कितने पौधे लग पायेगे। एवं शेष पौधो को कहा लगाया जावेगा एवं उनकी स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रकरण में 1998 में एफ आई आर काटी हुई है जिसकी वर्तमान स्थिति क्या है पूछा जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा जुर्माना जमा करा दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।
13	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट I में मात्र अन्नतपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गई है।जबकी उक्त भूमि अन्नतपुरा मे 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23.66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है।तद्नुसार संशोधन अपेक्षित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधन कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में गैर वन भूमि 2 ग्रामो गुरायता 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गई है। अतः पार्ट 1 के बिंदू सं0 एल0 में तद्नुसार संशोधन प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधन कर दिया गया है।

उप वन संरक्षक
कोटा